बिरसा आंदोलन

आदिवासियों को अपनी जमीन एवं अपना धर्म से विशेष लगाव था। वे अपनी जमीन एवं धर्म की रक्षा करना चाहते थे। इसी की पृष्ठभूमि में बिरसा आंदोलन अस्तित्व में आया। अत: बिरसा आंदोलन को सरदार आंदोलन का विस्तार माना जाता है। बिरसा आंदोलन के माध्यम से इस आंदोलन से जुड़े हुए हमारे आदिवासी बंधु मुंडा राज्य का पुनर्स्थापन करना चाहते थे। इसके लिए वे संगठित एवं आंदोलित होकर लड़ाई लड़े।

अंग्रेजों द्वारा जैसी भू-व्यवस्था यहां पर स्थापित की गई थी, उससे यहां की पारंपरिक व्यवस्था धीरे-धीरे छिन्न-भिन्न होने लगी। जमींदारों, ठेकेदारों एवं जागीरदारों

Scanned with CamScanner

के लिए वह व्यवस्था लाभदायक सिद्ध होती गई। ये बाहरी लोग अपने पैसा के बल पर भुईहारी तथा खुंटकटी जमीन पर भी जोर जबरदस्ती से कब्जा करने लगे। पहले बेगारी कर का एक सीधा उपाय मात्र था। अब इसमें मनमानी होने लगी। बाहरी नए लोग इस बेगारी प्रथा का दुरुपयोग करने लगे। उनके बीच नगद कर की भूख व्याप्त थी। बेगार में यहां के आदिवासी लोगों को काम करने बंगाल-असम भेजा जाने लगा। इससे आदिवासियों का जीवनक्रम नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ।

आदिवासियों की मूल संस्कृति के ऊपर असुर एवं हिन्दू संस्कृतियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन इन संस्कृतियों के प्रभाव से जनजातीय संस्कृति में कोई विघटन नहीं हुआ। लेकिन ईसाई मिशनरियों का उन पर घातक प्रभाव पड़ा। लाखों की संख्या में आदिवासियों को ईसाई बनाया गया। ईसाई आदिवासी एवं गैर-ईसाई आदिवासी के बीच सांस्कृतिक दरार उत्पन्न हो गयी। इस दरार के कारण उनके परंपरागत ग्राम संगठन—ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, परहा पंचायक, मुंडा-मानकी प्रथा, परहा राजा प्रथा, अखरा, ससानदीरी, सरना स्थान, धमखुरिया, गिटिओरा इत्यादि सांस्कृतिक केन्द्रों का विलोपन होने लगा। इसी आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि में बिरसा आंदोलन का जन्म हुआ।

बिरसा मिशन तथा चाईबासा में पढ़ते समय ही देख लिया था कि साहब-साहब एक होते हैं। उसे अंग्रेज पादरी तथा अंग्रेज अफसर में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। दोनों लुटेरे थे तथा दोनों मिलकर भोली-भाली जनता को लूटना चाहते थे। 1890 ई. में बिरसा मिशन से सपरिवार नाता तोड़ लिया। एक साल बाद वह बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के वैष्णव मुंशी आनंद पाण्डेय के संपर्क में आया। दूसरे वैष्णव संतों से भी उसे मिलने का अवसर मिला। प्रभावित होकर वह वैष्णव बन गया। चंदन, तिलक एवं जनेव धारण करने लगा। वह नित्य तुलसी की पूजा करने लगा। उस समय सरदार अपनी जमीन तथा जंगल के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिरसा इस संघर्ष में कूद पड़ा।

1894-95 तक बिरसा अपने लोगों के विविध शोषण एवं उत्पीड़न से पूर्णतः परिचित हो चुका था। उसने यह भी पाया कि उसके अपने लोग अनेक प्रकार की रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से जकड़े हुए हैं। अतः पहले उन्हें जगाना होगा तथा शुद्ध करना होगा। अतः उसने प्रार्थना, पवित्रता एवं निष्ठा पर आधारित एक नया धर्म चलाया। उसके इस आत्म बोध से अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। वह रोगियों का रोग एवं दुखियों का दुख हरण करता था। उसके गांव चलकद में भीड़ होने लगी थी। वह धरती बाबा एवं बिरसा भगवान के नाम से विख्यात हुआ। हजारों लोग उसके अनुयायी बन गए।

बिरसा की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ रही थी। इससे सरदारों को बिरसा की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज की पुनर्स्थापन की बात जोर पकड़ी। बिरसा भी धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिलाषी था। उसने प्रचार-प्रसार कराया कि अब मुंडा राज पुनः स्थापित हो गया है। अब सरकार को न कर देना है और न ही उसकी बात माननी है। बिरसा भगवान के साथ-साथ बिरसा राज का मालिक

Scanned with CamScanner

है। धीरे-धीरे यह बात संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में फैल गई। डिप्टी कमिश्नर को भी इसकी खबर दी गई। 8 अगस्त, 1895 को बिरसा की गतिविधि को जानने के लिए एक चौकीदार को चलकद भेजा गया। चौकीदार ने सूचना दी कि बिरसा को साधारण ढंग से नहीं पकड़ा जा सकता है। बिरसा के अनुयाइयों ने उस चौकीदार की मरम्मत अच्छे ढंग से की थी। इससे अंग्रेज सरकार और बौखला गए।

अंग्रेज अफसर, जमींदार, ठेकेदार, जागीरदार, पादरी तथा दारोगा के जुल्मों को याद कर लोग अधिक से अधिक संख्या में बिरसा के अनुयायी बन रहे थे। अंग्रेज अफसरों के पास तरह-तरह की अफवाह फैल रही थी। यह अफवाह जोर से फैली कि बिरसा किसी भी अन्यायी एवं अत्याचारी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बिरसा अंग्रेज अफसर तथा मिशनरियों पर किसी दिन आक्रमण कर देगा। ऐसी अनेक सूचनाएं पाकर 22 अगस्त, 1895 ई. को पुलिस सुपरिटेंडेंट मीयर्स के ऊपर बिरसा को कैद करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। उनके मार्गदर्शन में दूसरे ही दिन राँची तथा खुंटी से पुलिस चलकद की ओर चल पड़ी। बिरसा को बंदी बनाकर राँची लाया गया था। उसे जेल में डाल दिया गया। जिस समय बिरसा को गिरफ्तार किया गया, वह सो रहा था, क्योंकि उस वक्त रात्रि के नौ बज रहे थे। उसके समर्थकों ने उसको छुड़वाने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन वे उसे छुड़ा नहीं सके थे।

24 अक्टूबर, 1895 को खूँटी में बिरसा के मुकदमा की सुनवाई आरंभ हुई। फैसला सुनने के लिए आस-पास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बिरसा के समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 25 नवंबर, 1895 को फैसला सुनाया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 205 के अधीन उसे दोषी करार दिया गया। उसे मुख्य अपराध के लिए 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया तथा जुर्माना भुगतान न करने की स्थिति में उसे 6 महीने सश्रम कारावास की सजा दी गई। उसके अनुयायियों को दो वर्ष की सश्रम कारावास तथा 20 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें भी छह माह अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाने के बाद बिरसा तथा उनके अनुयायियों को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। सजा समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व उसे राँची जेल लाया गया। 30 नवंबर, 1897 को बिरसा जेल से छूटकर अपना गांव चकदल आया।

बिरसा के जेल काटने की अवधि में ईसाई मिशनरियों ने भोली-भाली जनता को ईसाई अधिक से अधिक संख्या में बनाए थे। उसी वक्त अकाल भी पड़ा। ईसाई मिशनरियों ने भोली-भाली आदिवासियों को ईसाई बनने की शर्त पर अकाल से बचाने में मदद की थी। उसके जेल से छूटने के समाचार से ईसाई मिशनरी काफी चिंतित थे। जेल से लौटने के बाद बिरसा और महिमा मंडित हो गया था। उसके दर्शन के लिए चकदल में भीड़ उमड़ने लगी। लोग अपने प्रिय नेता का दर्शन पाकर धन्य हो रहे थे। इसी वक्त बोरोडिह में एक सभा का आयोजन किया गया। सभी सरदार सक्रिय हो गए। धार्मिक तथा राजनीतिक संगठन की नई तैयारी शुरू हुई। सोमा मुंडा को धार्मिक आंदोलन तथा डोका मुंडा को

Scanned with CamScanner

राजनीतिक आंदोलन की तैयार का दायित्व सौंपा गया। गांव-गांव में प्रचारक भेजे जाने लगे। बिरसा भी अपने पूर्वजों की पुण्य भूमि दर्शन के बहारने चुटिया, नवरत्नगढ़, नागफेनी, पालकोट एवं जगन्नाथपुर की यात्रा पर निकल पड़ा।

बिरसा की यात्रा से उसके संदेश दूर-दूर तक पहुंचे। अब सशस्त्र क्रांति की तैयारी होने लगी। इसका केन्द्र जंगल-पहाड़ी के बीच अत्यंत सुरक्षित डोमवारी नामक स्थान बना। सन् 1898 में मुंडाओं की एक प्रतिनिधि सभा यहां हुई। इस सभा में प्रतिभागी मुंडाओं ने युद्ध भावना का परिचय दिया। दूसरे महीने सर्वदा मिशन के पास सिंबुआ पहाड़ी में फिर एक उत्साहपूर्ण सभा हुई। इस सभा में भी युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया गया। ब्रिटिश राज के प्रतीक के रूप में इन लोगों ने एक पुतला भी जलाया। होली का अवसर था। खूब गीत भी मांदर की थाप पर गाए गए। मुंडा राज की वापसी के लिए सभी कटिबद्ध थे। बसिया, सिसई, कोलेबीरा, बानो, सोनाहातु, जोरहाट, सिंहभूम इत्यादि स्थानों में गुप्त सभाएं होने लगीं। अनेक स्थानों पर बिरसा ने स्वयं युद्ध के लिए लोगों को उत्प्रेरित किया। 22 दिसंबर, 1899 में एक बड़ी सभा के बीच मुंडा राज की वापसी का संदेश सुनाया तथा युद्ध के ठोस कार्यक्रम पेश किया। मुंडाओं को जमीन का असली मालिक बतलाया गया। जमींदारों को लगान न देने तथा जंगल के अधिकार को वापस लिए जाने पर जोर दिया गया। इस वृहत सभा में डोरे को कोयायकेला, काती को चाईंबासा चामो को चक्रधरपुर का दायित्व सौंपा गया।

24 दिसंबर, 1899 को पूर्व योजना के अनुसार विद्रोह शुरू हो गया। चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़, बसिया आदि क्षेत्रों में बिरसा के अनुयायी लाठी, भाला, तीर, धनुष, तलवार, बलुआ, गड़ासा तथा ढ़ेलकुसी लेकर निकल पड़े। तमाड़ के दो गिरिजाघरों पर आक्रमण किया गया। उलीहातु गिरजा घर पर तीर चला। मरचा का जोन पाहन नामक प्रचारक बाल-बाल बचा। कजरा और बसिया के जर्मन मिशन में तीर चले। राम तौलिया में एक ईसाई बालक तथा राँची जर्मन मिशन के पास छेदी मिस्त्री मारा गया। खुंटी थाने में सबसे अधिक उथल-पुथल हुआ। अनेक गांव-घर जला दिए गए। बिरसा को बंदी करवाने वाले मुरहु मिशन पर तीर चलाए गए। सरवदा मिशन के गोदाम में आग लगा दी गई। यहां से रेवरंड कारबेरी तथा रेवरंड होफमैन किसी तरह जान बचाकर भागे।

पोशहाट में 28 दिसंबर कुन्दरुगुटु जर्मन मिशन पर विद्रोहियों ने धावा बोला तथा वहां एक राही मारा गया। चक्रधरपुर जर्मन मिशन में एक चौकीदार मारा गया। चैनपुर में केजर नामक जर्मन व्यापारी मारा गया। बिरसा के अनुयायी ईसाइयों को नेस्तनाबूद कर देना चाहते थे। वे काले और गोरे सभी ईसाइयों को टुकड़ा-टुकड़ा कर देना चाहते थे।

राँची के डिप्टी कमिश्नर एच.स. स्ट्रीट फिड को विद्रोहियों को नियंत्रण में लाने का दायित्व सौंपा गया। उन्होंने दुमका और चिनसुरा से भी सेना मंगाई। उनके तथा सैनिकों द्वारा बिरसा की खोज शुरु हुई। चार से 6 जनवरी, 1900 तक जमकोपाई, रोमोटो तथा सकरा नामक गांव के चप्पे-चप्पे छान डाले गए। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। डिप्टी

Scanned with CamScanner

कमिश्नर बिरसा को खोजते हुए पोराहाट पहुंचे। इधर बिरसा के अनुयायी ईसाई मुंडाओं को अपनी ओर मिलाने में सफल हो गए। वे लोग भी अब अंग्रेजों के साथ लड़ने को तैयार थे। अब क्षेत्र का पूरा जन समूह बिरसा का साथ देने लगा था।

5 जनवरी, 1900 को गोपी, सनिका, पाकु, गया मुंडा आदि ने तजना नदी के किनारे सरकार द्वारा भेजे गए सिपाहियों तथा चौकीदार को जान से मार डाला। ये लोग बिरसा को खोजने वहां गए थे। दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर ने सैनिकों के साथ गया मुंडा का घर घेर लिया। गया मुंडा का पूरा परिवार कैद कर लिया गया। गया मुंडा सपरिवार अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए बंदी बना लिए गए थे।

7 जनवरी को विद्रोहियों ने खुंटी पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण अत्यंत भयानक था। डोमका और मखिया मुंडा ने रघुनीराम नामक सिपाही को खदेड़ कर मार डाला। थाने के सइद और सिपाही भाग निकले। सभी ईसाई मिशन वाले भागकर अपनी-अपनी जान बचा पाने में सफल हुए।

अब सरकार किसी भी शर्त पर आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त करना चाहती थी। राँची के डोरंडा छावनी से 150 रायफलधारी जाट सेना को खूंटी भेजा गया। कमिश्नर भी स्वयं खुंटी के लिए रवाना हो गया था। कर्नल बेस्टमोर लैंड भी उनके साथ थे। सिंहभूम के कमिश्नर भी उनके साथ हुए। सभी लोग बंदगांव की ओर चल पड़े। बंदगांव के आस-पास के सभी गांवों को अंग्रेज सैनिकों तथा सिपाहियों से घेर लिया गया।

9 जनवरी को अंग्रेजों को यह सूचना मिली कि विद्रोही साइको से तीन मील दूर डोमवारी के निकट शैलरकाब में एकत्रित हो रहे हैं। यह एक सुरक्षित स्थान था। यहां विद्रोही रसद एवं बाल बच्चों के साथ गुफाओं में छिपे हुए थे। जब अंग्रेजों की गंध उन्हें मिली, वे युद्ध के लिए आतुर हो गए। डिप्टी कमिश्नर ने विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए बहुत समझाया, लेकिन विद्रोही नहीं माने। नरसिंह मुंडा ने आगे बढ़कर कहा कि राज हमारा है, तुम हथियार डाल दो। अंत में गोली चलाने का आदेश दिया गया। सहर्ष मुंडा लोग मौत के घाट उतरने लगे। गोली के आगे ढ़ेलकुसी के पत्थर और तीर कब तक टिक पाते। अंत में युद्ध समाप्त हो गया। चार आदमी मृत और तीन घायल पाए गए। तीन मृत औरत और एक बुरी तरह घायल बच्चा मिला। दो आदमी, एक युवक, बीस औरतें और आठ बच्चे एक गुफा में छिपे हुए पाए गए। उन्हें पकड़ लिया गया। घायलों और बंदियों को साइको लाकर प्रारंभिक उपचार कराया गया। इसके बाद आंदोलन की रीढ़ टूट गई थी। प्रतिक्रिया की आशंका से 13 से 26 जनवरी तक बीट एंड सर्च आपरेशन का दौर चला। बिरसा का पता बताने वालों के लिए 500 रुपये का ईनाम घोषित किया गया। गरीब एवं निरीह आदिवासियों को सताया गया। महिलाओं को हवस का शिकार बनाया गया। स्थानीय राजाओं और मानकियों से सहायता की अपील की गई। अनेक लोगों के जमीन-जायदाद जब्त किए जाने लगे। उन पर तरह-तरह से जुल्म ढाए गए। अंग्रेजों के जुल्म न बर्दाश्त करने के कारण 28 जनवरी को डाका और मझिया मुंडा अपने 12 अनुयायियों के साथ अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

Scanned with CamScanner

इस बीच ईसाई मिशनरियों ने खूब लाभ कमाया। काफी संख्या में लोग ईसाई बने। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ईसाई बनाया गया। मुंडाओं के बीच तरह-तरह से फूट डाली गई ताकि बिरसा को पकड़वाया जा सके।

बिरसा पोराहाट के जंगलों में नए संगठन बनाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन सरकार के प्रलोभन से आकर्षित होकर मनमारू तथा जारीकेले ग्राम के ग्यारह व्यक्ति बिरसा की खोज में निकल पड़े। संतरा के पश्चिम जंगल में बिरसा जब गहरी नींद में सो रहा था तब उसे पकड़ लिया गया। उसके साथ उसकी दो पत्नियां थीं तथा उसके दोनों हाथों में नंगी तलवारें थीं। ये लोग 3 फरवरी, 1900 को बिरसा को बंद गांव के डिप्टी कमिश्नर के हाथों में सुपुर्द कर दिए। बिरसा की गिरफ्तारी की सूचना संपूर्ण क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। बंदगांव में जनजातियों की भीड़ उमड़ने लगी। स्थिति को नियंत्रण में पाने के लिए बिरसा को राँची जेल भेज दिया गया। उसके दर्शन के लिए सड़क किनारे दोनों ओर जनता आस लगाए खड़ी थी तथा अपने प्रिय नेता को हृदय से आशीर्वाद दे रही थी। अपने सपूत पर उन्हें पूरा गर्व था। वह कायर बनकर नहीं, वरन् वीर बनकर उनसे विदा ले रहा था।

बिरसा तथा उनके सभी अनुयायियों को जेल भेज दिया गया। उन पर मुकदमा किया गया। 20 मई, 1900 को जब उसे अपने साथियों के साथ जेल से कचहरी लाया गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे शीघ्र ही जेल में वापस भेज दिया गया। उसकी हालत और खराब होती चली गई। संभवत: उसे हैजा हो गया था। 8 जून को उसकी हालत और चिंताजनक हो गई। 9 जून को प्रात:काल तक उसे रक्त वमन हुआ और बेहोश होकर गिर गया। 9 बजे प्रात:काल में उसकी आत्मा सदा के लिए मुक्त हो गई और धरती की गोद में पड़ा था उसका शरीर। झारखंड की धरती मां उसे अपने गोद में लेकर दुखी भी थी। साथ ही साथ गौरवान्वित भी महसूस कर रही थी। अंग्रेजों के छक्का छुड़ाने वाला लाल आज उसकी गोद में सदा के लिए सो चुका था। लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी कि मां तुम मत घबराओ। तुम्हारे कोख से एक नहीं हजारों हजार बिरसा जन्म लेंगे और तुम्हें गुलामी से मुक्त करेंगे। बिरसा का अंतिम संस्कार गुप्त रूप से वर्तमान डिस्टलरी के निकट हरमू तट पर जेल अधिकारियों के निरीक्षण में संपन्न हुआ।

बिरसा के साथ उसके 482 अनुयायियों को भी गिरफ्तार किया गया था। उनमें से केवल 98 पर दोष सिद्ध हुआ था। 68 अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ दिया गया था। 296 कैदियों के विरुद्ध मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

गया मुंडा और उसके पुत्र को फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि उन पर जयराम सिंह नामक सिपाही की हत्या का आरोप था। चक्रधरपुर के चौकीदार की हत्या में सुखराम को फांसी दी गई। डोका मुंडा को काला पानी भेजा गया। कुल मिलाकर तीन व्यक्तियों को फांसी, 44 व्यक्तियों को काला पानी, 100 व्यक्तियों को कड़ी जेल, 8 व्यक्तियों को 7 वर्ष, 23 व्यक्तियों को 5 वर्ष तथा 6 व्यक्तियों को 3 वर्ष के लिए जेल की सजा दी गई।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार बिरसा आंदोलन का आरंभिक पक्ष सामाजिक-सांस्कृतिक सुधारवादी था। मध्य में उसका उद्देश्य प्राचीन मूल्यों को पुनर्जीवित करना हो गया। अंत में सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष भी राजनीतिक आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गया था।

बिरसा का जन्म संभवत: चकदल के पास बंबा नामक ग्राम में हुआ था जहां उसके माता-पिता काम करने के लिए थोड़े दिनों तक बस गए थे। उनका जन्म 15 नवंबर, 1875 को हुआ था। वैसे उसके माता-पिता चकदल के निवासी थे। बिरसा के माता-पिता ईसाई धर्म में दीक्षित हो चुके थे। यहीं कारण था कि बिरसा का नाम दाऊद मुंडा या दाऊद बिरसा रखा गया था। बचपन में उसे बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था। कुछ दिनों तक उसने आबुहातु में नौकरी भी की थी। बुर्जु मिशन में उसने आरंभिक शिक्षा पाई थी। 1890 ई. तक वह चाईबासा में रहा था। उसने ईसाई मिशनरियों का भाषण सुना। उसमें ईसाइयों के प्रति विद्रोह भाव जागृत हो गया। वह वहां डा. नोतोत्र की आलोचना किया करता था। इसी कारण से उसे मिशन स्कूल से बहिष्कृत कर दिया गया था। चाईबासा से वह बंद गांव लौटा तथा आनंद पाण्डेय से प्रभावित होकर वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। जब वह सरदारों के संपर्क में आया तब उसके अंदर विद्रोह की आग प्रज्वलित हो गई। 1895 में उसे आत्म बोध हुआ। अब वह बिरसा भगवान और धरती आबा के नाम से विख्यात हुआ। मुंडा राज की वापसी के लिए उसने विद्रोह किया तथा अंग्रेजों से मुक्ति के लिए संग्राम छेड़ा। 9 जून, 1900 को राँची जेल में उसकी मृत्यु हो गई। उसे आज भी अपने क्षेत्र में भगवान के रूप में पूजा की जाती है।

बिरसा आंदोलन के परिणामत: बिरसा आंदोलन के कारण अंग्रेजों को अपनी कई नीतियों में परिवर्तन लाना पड़ा था। अंग्रेज की नीतियों में परिवर्तन को ही बिरसा आंदोलन के सकारात्मक परिणाम के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। बिरसा आंदोलन के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित थे—

1. खुंटी, तमाड़, बुंडु तथा सोनाहातु जैसे मुंडा बाहुल्य क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण कराया गया, क्योंकि इन क्षेत्रों में 1869 ई. में सर्वे नहीं कराया गया था। इस सर्वे कार्य से मुंडा क्षेत्र में काफी राहत मिली।

2. मुंडा क्षेत्र में बंठ-बेगारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया।

3. तत्कालीन गवर्नर के अनुरोध से रेवरेंड होफमैन ने मुंडारी भू-व्यवस्था के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के आधार पर टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के द्वारा मुंडाओं की जमीन को सुरक्षा देने की चेष्टा की गई।

4. सन् 1908 ई. में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट-6 पास हुआ। इस एक्ट के आ जाने से खुंटकटी गांव की सारी जमीन को खुंटकटीदारों के वंशजों की पैतृक संपत्ति मानी गई। मुंडाओं की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई। लेकिन सूदखारों के लिए कुछ रियायत दी गई थी।

Scanned with CamScanner

5. बिरसा आंदोलन के प्रभाव के कारण ही 1902 ई. में गुमला, 1905 में खुंटी तथा 1910 में सिमडेगा को सबडिविजन बनाया गया। इस क्षेत्र के लोगों को कानूनी राहत लेने के लिए राँची आने से छुट्टी मिली। इससे प्रशासकों को बल मिला।

6. बिरसा आंदोलन के कारण छोटा नागपुर की जनजातियों के बीच धार्मिक एवं राजनीतिक जागृति का विकास हुआ। आगे चलकर ताना भगत आंदोलन पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा।

7. बिरसा आंदोलन की समाप्ति से इस क्षेत्र में अंग्रेजी राज्य को सुदृढ़ता मिली। ईसाई मिशनरियों की अप्रत्याशित उन्नति हुई। क्योंकि अब अंग्रेजों के विरोध में स्वर उठाने वाला कोई नहीं था।

Scanned with CamScanner